रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 1997/पौष 27, 1918
No. 9] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 1997/PAUSA 27, 1918

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1997

एफ. 7-2/96-वित्त-II :— भारत सरकार जीवनघातक बड़े रोगों से पीड़ित, भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले रोगी व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि वे किन्हीं अति-विशिष्टता वाले अस्पतालों /संस्थानों या दूसरे सरकारी /निजी अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा उपचार करा सकें । यह महसूस किया गया है कि इस लोकोपकारी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक राष्ट्रीय प्रयास किया जाए जिसमें व्यक्ति, भारत के निवासी और अनिवासी, निगमित निकाय, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र या भारत या विदेश के दूसरे गैर अनिगमित लोकोपकारी संगठन एक निधि में उदारतापूर्वक अंशदान देकर भाग ले सकें तथा तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि 1996-97 के दौरान 5 करोड़ रुपये के आरंभिक अंशदान से ''राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि'' केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संरक्षण में गठित की जाए ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले उन रोगियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके जिनके 1.5 लाख रुपये से अधिक के चिकित्सा उपचार की सहायता के मामलों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की बीमारी सहायता निधि/चिकित्सा राहत सोसायटी के जरिए निधि को भेजा जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय निधि भी इसी तरह अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में रहने वाले गरीबों को वित्तीय सहायता देने हेतु निधियों के उपयुक्त संसाधन बढ़ाने का पता लगाएं।

यह भी निर्णय किया गया है कि 1996-97 के दौरान सहायता अनुदान की एक स्कीम के जरिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय निधि को 25 करोड़ तक की अनिवार्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता की स्कीम के बारे में अवगत करा दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्र से प्राप्त वित्तीय सहायता का किसी और प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर उक्त निधियां सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत होंगी।

राज्य स्तर पर इन निधियों के लेखों का राज्य के महालेखा परीक्षक/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा और राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि के लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि का प्रबंधन एक समिति द्वारा किया जाएगा जो इस प्रकार होगी :—

1. केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री —अध्यक्ष

2. सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय —सदस्य

3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक —सदस्य

4. संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार) स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण मंत्रालय —सदस्य सचिव

प्रबंध समिति उन दानकर्ताओं में से दो सदस्य सहयोजित कर सकती है जिन्होंने निधि को महत्वपूर्ण अंशदान दिया हो। यह समिति निधि की व्यवस्था हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी।

आयकर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 1996 (1996 का 32वां) दिनांक 31-12-96 के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि प्राप्त सभी दान/अंशदान पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत आयकर के भुगतान से छूट होगी। विदेश से प्राप्त दान/अंशदान पर एफ. सी. आर. ए. 1976 के अधीन क्लीयरेंस होनी चाहिए।

विजय सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

RESOLUTION

New Delhi, the 13th January, 1997

No. F. 7-2/96-Fin. II .— The Government of India have been considering a proposal to provide necessary financial assistance to patients, living below poverty line, in India, suffering from major life-threatening diseases, so that they could receive necessary medical treatment at any of the super-speciality hospitals/Institutes or other Government/private hospitals, It has been felt that a national effort has to be launched to achieve this philanthropic objective, in which individuals; residents as well as non-residents of India, corporate bodies; in public as well as private sector, or other non-corporate philanthropic organisations in India or abroad could participate, by contributing liberally to a Fund; and it has accordingly been decided to set up a "National Illness Assistance Fund" under the aegis of Union Ministry of Health & Family Welfare, with an initial contribution of Rs. 5 crores during 1996-97 to provide necessary financial assistance to such patients living in States/UTs, whose cases for assistance in medical treatment beyond Rs. 1.5 lakhs in each case, are referred to the Fund, through a State/ UT level Illness Assistance Fund/Medical Relief Society. State/UT level Fund shall also similarly explore to raise appropriate resources of funds to render financial assistance to poor, living in their respective jurisdiction.

It has also been decided to provide necessary financial assistance to State/UT level Funds, through a scheme of Grant-in-aid upto Rs. 25 crores during 1996-97. State Governments/ UT Administrations have been apprised of the details of the scheme of Central assistance. Financial assistance received from Centre under this scheme shall not be diverted for any other purpose.

The said Funds, both at Central or State level, shall be registered under "Societies Registration Act 1860".

The accounts of these Funds at State level shall be audited by Auditor General of the State/CAG, and the accounts of NIAF will be audited by CAG.

The NIAF will be managed by a Committee consisting of the following:—

1. Union Minister of Health & F.W. — Chairman

2. Secretary (Health),

Ministry of Health & F. W. — Member

3. Director General, Health Services — Member

4. Joint secretary (Financial Adviser),

Ministry of Health & F.W. — Member-Secretary

The Management Committee may co-opt two members from the donors who contribute significantly to the Fund. The Committee will issue detailed guidelines for administration of the Fund.

It has been decided vide Income-Tax (second Amendment) Ordinance 1996 (No. 32 of 1996) dated 31-12-96 that all donations/contributions received shall qualify for exemption (s) from payment of Income-Tax under Section 80(G) of Income-Tax Act, 1961. Donations/contributions received from abroad will be subject to clearance under FCRA, 1976.

VIJAY SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997